



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072025-264623
CG-DL-E-14072025-264623

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3042]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2025/आषाढ़ 20, 1947

No. 3042]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ASHADHA 20, 1947

सङ्कक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2025

का.आ. 3112(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के अलीराजपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-56 के कि.मी. 0+000 से कि.मी. 27+500 तक (जोबट-अम्बुआ-गुजरात बॉर्डर रोड) तहसील-जोबट के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी जोबट, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी

आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

और इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के अलीराजपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-56 के कि.मी. 0+000 से
कि.मी. 27+500 तक (जोबट अम्बुआ गुजरात बॉर्डर रोड) तहसील- जोबट अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त
विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: अलीराजपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: जोबट					
गांव का नाम: कालुवाट					
1	29	निजी	सिंचित	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
2	871	सरकारी	रास्ता	0.027 (हेक्टेयर)	0.027
गांव का नाम: टेमाची					
3	936	सरकारी	चारागाह	0.054 (हेक्टेयर)	0.054
4	968/2	सरकारी	स्थायी पगड़ंडी	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
5	969	सरकारी	सड़क	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
गांव का नाम: छोटा ईटारा					
6	410/1	सरकारी	भवन	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
7	693	सरकारी	रास्ता	0.023 (हेक्टेयर)	0.023
8	706	निजी	सिंचित	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
9	707	निजी	सिंचित	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
Total					0.151

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/69/2023-24/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2025

S.O. 3112(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (here in after referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of **NH 56** in the stretch of land from **Km. 0+000 To Km. 27+500 (Jobat-Ambua-Gujrat Border Road) (Tehsil-Jobat)** in the district of **ALIRAJPUR** in the state of **MADHYA PRADESH**, here by declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Sub Divisional officer (Revenue) & Land acquisition officer Jobat, District Alirajpur (M.P.)** in writing and shall set out the grounds there of and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH56 in the stretch of land from Km. 0+000 To Km. 27+500 (Jobat-Ambua-Gujrat Border Road) (Tehsil-Jobat) in the district of ALIRAJPUR in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: ALIRAJPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Jobat					
Village: Kaluwat					
1	29	Private	Irrigated	0.03 (Hectare)	0.03
2	871	Government	Rasta	0.027 (Hectare)	0.027
Village: Temachi					
3	936	Government	Grassland	0.054 (Hectare)	0.054
4	968/2	Government	Permanent Footpath	0.007 (Hectare)	0.007

5	969	Government	Road	0.003 (Hectare)	0.003
Village: Chhota Itara					
6	410/1	Government	Building	0.002 (Hectare)	0.002
7	693	Government	Way	0.023 (Hectare)	0.023
8	706	Private	Irrigated	0.002 (Hectare)	0.002
9	707	Private	Irrigated	0.003 (Hectare)	0.003
Total					0.151

[F. No. CE-RO BPL/30010/69/2023-24/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director